न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/05/2023 रजू दिनांक: 05.01.2023 रजि0 न0 2023/7

अपीलार्थी:–
श्री प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री त्रिलाकचन्द, सेढ मौहल्ला रामगढ़, तहसील रामगढ़, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 20.02.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 24.01.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/386 दिनांक 13.02.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा यही सूचना एक अन्य सूचना आवेदन दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से भी चाही गई है जिसके संबंध में संबंधित अनुभाग से सूचना प्रापत कर जरिये ऑनलाईन आरटीआई पत्र सं0 1024850181 दिनांक 13.02.2023 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। प्रेषित सूचनानुसार अपीलार्थी के विरूद्व सीसीए नियम–16 में विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)एच के तहत सूचना देय नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)